निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांकः 163 / नि0ले0ह0/ए0ए0ओ0 स्था0–2019/2019–2020 दिनांक 19 जून, 2019।

कार्यालय–ज्ञाप /स्थानान्तरण आदेश

"उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017" एवं शासनादेश सं0–118/XXX-2/2019-30(13)2017 , दिनांक 23 अप्रैल, 2019, व शासनादेश सं0– 108 /XXX(2)/19/30(13)2017 , दिनांक 01 मई, 2019, व शासनादेश सं0– 152/XXX(2)/19 /30(13)2017 , दिनांक 07 जून, 2019 तथा शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के कम में निदेशालय विभागीय लेखा के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण **अधिनियम 2017 की धारा– 7 (सुगम से दुर्गम, में अनिवार्य स्थानान्तरण)** के अधीन दी गयी संस्तुति के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात निम्नलिखित तालिका के कालम–2 के सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख वर्तमान तैनाती के स्थान, कालम–3 से स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के स्थान, कालम –4 पर एतद् द्वारा स्थानान्तरण पर तैनात किया जाता है।

कम0 सं0	सहायक लेखाधिकारी का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री एल0पी0 कोठियाल	निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।	कार्यालय, अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	विकल्प के आधार पर इच्छित स्थल में रिक्त पद पर

1– उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा– 10 के अधीन पात्र होगा।

2– स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित विभागों व कोषागारों से अनुरोध है, कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों को बिना प्रतिस्थानी के नवीन तैनाती हेतु तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों का वेतन नवीन तैनाती के स्थान पर ही आहरित किया जाय। आदेश निर्गत होने के सात दिन पश्चात् कार्यमुक्त नहीं होने के दशा में वेतन का आहरण न किया जाय।

4– उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर अधिनियम की धारा–22 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– उपरोक्तानुसार नवीन तैनाती के स्थल में अतिरिक्त प्रभार के रूप में पूर्व से तैनात अधिकारी को कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

(बी0सी0तिवारी)
निदेशक

पत्रांक व दिनांकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

Scanned by CamScanner

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
6. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. आदेश वेबसाईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

(बी०सी०तिवारी)
निदेशक

Scanned by CamScanner